अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

ईशराराम बनाम कौशलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 06/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.01.19	प्रार्थी की ओर से वकील श्री चुनाराम चौधरी द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस पर सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी व विप्रार्थीगण सं. 1 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि मौजा सुन्तला पटवार मण्डल सवाउ मूलराज में आई हुई है। प्रार्थी की भूमि में विप्रार्थीगण दखलअन्दाजी करने, कच्चा–पक्का निर्माण करने तथा प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि का बैचान करने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 11/02/19 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा सुन्तला पटवार मण्डल सवाउ मूलराज तहसील गिड़ा के खसरा नम्बर 133/41, 135/36, 40, 82 रकबा क्रमशः 25.14, 06.05, 00.04, 01.06 बीघा भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप कारित नहीं करें तथा न ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करें। मौके व रैकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 11/02/19 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

11/02/19 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या-1 उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी जयपुर मिटिंग में पधारे हुए हैं अतः मिसल इन्तखा होकर आगामी दिनांक 20/02/19 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

20/02/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या-2 का नोटिस तामील कदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं अतः मिसल इन्तखा होकर आगामी दिनांक 27/02/19 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

27/02/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं अतः मिसल इन्तखा होकर आगामी दिनांक 18/03/19 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

18/03/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या-2 का नोटिस तामील कदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तखा होकर आगामी दिनांक 03/04/19 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

03/04/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से मूल वाद में वकील श्री घनश्याम सक्सेना द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा उक्त आवेदन में अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 12/04/19 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

12/04/19

रीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/04/19	प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या-1 के वकील उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा मूल वाद Not press कर दिया गया। इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है। तथा अप्रार्थी संख्या-1 के अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन Not press किया गया। अतः जरिये Not press प्रार्थी का आवेदन खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, मूल वाद के संलग्न रहे। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	Not Press AL 2/04/19

Scanned by CamScanner